न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
परिवाद संख्या– 34/2024
CNR No. UPHP010082052024

कपिल उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र श्री मूलचंद, निवासी ग्राम गालंद, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

––बनाम––

1. **हेमंत तोमर पुत्र चन्द्रपाल,**
2. **विनीत पुत्र नरेश,**
3. **आजाद तोमर पुत्र सुभाष,**
   निवासीगण ग्राम खेड़ा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।
4. **ललित राणा पुत्र नामालूम, निवासी मौहल्ला राणा पट्टी, पिलखुवा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।**

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः– 06.01.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज दिनांक वास्ते आदेशार्थ नियत है। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

2. परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भा०न्या०सु०सं० इस आशय का दिया गया है कि "प्रार्थी अनुसूचित जाति का है तथा ग्राम भोवापुर के पास बिलिंक किट कम्पनी रिलायन्स रोड में कार्य करता है। दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 12.30 बजे जब प्रार्थी खान खाने के लिए कैन्टीन गया तो वहाँ पर खाना खाने के लिए कैन्टीन में लाइन लगी हुई थी। प्रार्थी जैसे ही लाइन में खड़ा हुआ, तभी लाइन में लगे हुए विपक्षीगण अभियुक्तगण 1 ता 3 ने प्रार्थी से कहा कि यह लाइन ढेड चमड़ों की नहीं है, जब हम खाना खा लें, तू उसके बाद खाना खाना। प्रार्थी ने जब विपक्षीगण/अभियुक्तगण से 1 ता 3 से अपशब्दों/ जातिसूचक शब्दों का विरोध किया तो तीनों ने प्रार्थी को लात घूसों से बहुत मारपीट की, तभी विपक्षी/अभियुक्त सं० 4 भी वहाँ आ गया तथा चारों ने मिलकर प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तथा गन्दी गन्दी गालियां देकर बहुत बुरी तरह से मारपीट की तथा सभी ने मिलकर प्रार्थी के मुँह व नाक पर किसी वस्तु से वार किया, जिससे प्रार्थी के मुँह व नाक से काफी खून बह निकला तथा पहने हुए कपड़ो खून में सन गये। चोट के कारण प्रार्थी की नाक टेढ़ी हो गई है। शोर पर काफी लोग आ गये, जिन्होंने प्रार्थी को विपक्षीगण/अभियुक्तगण से बचाया। विपक्षीगण/अभियुक्तगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि यदि कम्पनी में दोबारा आया तो तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना पिलखुवा गया, जहाँ से प्रार्थी को सरकारी अस्पताल पिलखुवा में मेडिकल के लिए भेज दिया, जहाँ पर प्रार्थी का मेडिकल दिनांक 03.09.2024 को हुआ तथा प्रार्थी का एक्सरे कराने व इलाज के लिए जिला अस्पताल हापुड़/मेरठ मेडिकल कालिज मेरठ के लिए रेफर कर दिया। जब प्रार्थी अपना मेडिकल कराकर थाना पहुँचा तो वहाँ पर विपक्षीगण/अभियुक्तगण थाना में बैठे हुए थे तथा थाना पिलखुवा की पुलिस द्वारा प्रार्थी को भी थाने में बैठा लिया तथा प्रार्थी को इलाज के लिए हापुड़ मेरठ के लिए नहीं भेजा तथा पूरी रात थाने में बैठाकर अगले दिन दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थी का चालान धारा 151 सीआर०पी०सी० में कर दिया तथा प्रार्थी ने घटना की तहरीर लिटाकर धान्न वालों की दी परन्तु थाना वालों ने विपक्षीगण/अभियुक्तगण से साज करके विपक्षीगण/अभियुक्तगण को थाने से छोड़ दिया गया तथा प्रार्थी की कोई सुनवाई थाना वालों ने नहीं की। धारा 151 सीआर०पी०सी० में जमानत कराने के बाद प्रार्थी कई बार थाना पिलखुवा गया, परन्तु प्रार्थी

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.01.12 11:05:04 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

की रिपोर्ट दर्ज नहीं की तथा थाना वाले रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन देते रहे। थाना वालों की झूठे आश्वासन के बाद दिनांक 06.09.2024 को प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से एक प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु प्रार्थना पत्र देने के बाद भी प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष थाना पिलखुवा जिला हापुड़ को आदेश करने की कृपा करें।"

3. अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भा०ना०सु०सं० के समर्थन में प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथपत्र कागज तथा सूची कागजात से जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 03.09.2024 सरकार अस्पताल पिलखुवा श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति दिनांक 06.09.2024 की प्रति, श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ को भेजे गये प्रार्थना पत्र की रजिस्ट्री की रसीद दिनांक 06.09.2024 प्रार्थी का घायल अवस्था का फोटो दाखिल की गयी हैं।

4. इस न्यायालय के आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भा०न्या०सु०सं० दिनांक 04.12.2024 को परिवाद के रूप में दर्ज हुआ, जिसके उपरान्त प्रार्थी के बयान अंतर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं० व पी०डब्ल्यू०– 01 अभिषेक तथा पी०डब्ल्यू०–02 रितिक के बयान अंतर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० दर्ज किये गये।

5. न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयान अंतर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं० में परिवादी कपिल द्वारा कथन किया गया है कि "दिनांक 03.09.2024 को भोवापुर के पास एक ब्लिंकिट कम्पनी है, उसमें मैं काम करता था। उस दिन समय करीब 12.30 PM पर लंच हुआ था। उसमें कैंटीन है, मैं उसमें खाना खाने गया था, वहां पर लाइन लगी हुई थी। मैं लाइन में लग गया था, तभी वहां खड़े हुए हेमंत तोमर, विनीत तोमर, आजाद तोमर, जो लाइन में लगे हुए थे, मुझसे कहने लगे कि पहले हम खाना खा लें, फिर तुम खाना तथा जोर से कहने लगे कि ये लाइन ढेड़ चमड़ों की नहीं है। मेरे द्वारा विरोध किये जाने पर तीनों ने मुझे लात घूसों से मारना पीटना शुरु कर दिया। झगड़ा सुनकर ललित राणा भी आ गया। तब चारों ने मारपीट की व जातिसूचक शब्द भी कहे। लात घूसों से पीटा व किसी वस्तु से हमला किया, जिससे मेरी नाक पर चोट आयी व खून निकला। मेरी नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो गयी। कपड़े खून से सन गये। मेरी बहुत बेइज़्ज़ती करी। गंदी–गंदी गालियां दीं। कहा कि रिपोर्ट करी तो तुझे जान से मार देंगे। मुझे कम्पनी से भी निकलवा दिया। मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने पिलखुवा थाने गया तो उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। पिलखुवा वाले अस्पताल ने मुझे मेरठ रैफर कर दिया। वहां एंबुलेंस नहीं थी तो मुझे 4 तारीख के लिए कहा कि मेरठ एक्स–रे करा लेना। मैं मेडिकल रिपोर्ट जो पिलखुवा अस्पताल ने दी थी, मैं थाने देने गया तो उन्होंने मुझे वहीं बैठा लिया। अगले दिन मेरा 151 में चालान कर दिया। मैंने न्यायालय से जमानत करायी। बार–बार चक्कर काटने पर भी पिलखुवा थाने ने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर 6 तारीख को एस०पी० साहब को लिखित तहरीर भेजी। उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।"

6. अपने कथनों के समर्थन में परिवादी कपिल द्वारा अंतर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० पी०डब्ल्यू०– 01 अभिषेक तथा पी०डब्ल्यू०–02 रितिक को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा भी अपने बयानों में घटना का समर्थन किया गया है। पी०डब्ल्यू०– 01 अभिषेक द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि "दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 12.30 बजे दिन लगभग की घटना थी। मैं कैंटीन में खाना

खाने लाइन में लगा था। तभी विनीत, हेमंत, आजाद आते हैं और बोलते हैं कि ये ढेड़ चमट्टों की लाइन नहीं है। पहले हम खाना खा लें, बाद में तुम खाओगे। इसी बात को लेकर कपिल ने विरोध किया तो उन्होंने झगड़ना शुरु कर दिया और लड़ाई होने लगी। उसके बाद वहां ललित राणा आया और उसने भी लड़ाई में सहयोग दिया व मारा–पीटा। तभी हेमंत ने कपिल की नाक पर किसी वस्तु से वार किया, जिससे वह चोटिल हो गया। उसके खून भई निकला। इन चारों ने मिलकर कपिल के साथ मारपीट की व जातिसूचक शब्द कहे। उस समय लाइन में करीब 90–100 कर्मचारी लगे थे। जिस कंपनी में कपिल काम करता था, वह ब्लिंकिट कंपनी है। मैं भी उसके साथ इसी कंपनी में काम करता था। उसके बाद कपिल रिपोर्ट लिखाने थाने चला गया। मैं अपने घर आ गया था। बीच–बचाव में मेरे 1–2 डण्डा लगा था।"

7. पी०डब्ल्यू०–02 रितिक द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि "दिनांक 03.09.2024 को शनिवार का दिन था। 12.30 बजे दोपहर मैं, कपिल, अभिषेक लंच करने गये थे। वहां लाइन लगी थी। वहां कपिल लाइन में लग गया। आजाद, विनीत, हेमंत वहां आ गये। ये लाइन में लगे थे। इन्होंने कपिल से बोला ये ढेड़ चमट्टों की लाइन नहीं है। पहले हमें खाने दो, उसके बाद तू खाना। उसके बाद कपिल के विरोध करने पर तब हेमंत, विनीत, आजाद ने कपिल के लात घूसे बजाए। ये सुनकर वहां ललित तोमर भी आ गये। फिर चारों ने मिलकर मारा। हेमंत ने कपिल के किसी वस्तु से वार किया, जिससे उसकी नाक से खून निकल गया। इसके बाद बीच बचाव किया। बीच–बचाव में मेरे भी तीन–चार लग गये। कर्मचारियों ने बीच–बचाव किया। कपिल रिपोर्ट लिखाने थाने गया। कपिल को अस्पताल भेज दिया। मुझे वहीं बैठा लिया। फिर कपिल आया तो कपिल के साथ मेरा भी चालान कर दिया। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी।"

8. तत्पश्चात तलबी पर सुनवाई करने से पूर्व इस न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को अपना बचाव/पक्ष रखने हेतु नोटिस दिये गये। विपक्षीगण पर नोटिस की तामील पर्याप्त है। नोटिस की तामील पर्याप्त होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा अपनी–अपनी ओर से विद्वान अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल किया गया।

9. विपक्षीगण हेमंत तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र व आजाद तोमर की ओर से इस आशय की लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है कि "प्रार्थी ने उक्त वाद गलत, झूठे व फर्जी कथनों पर सही बातों को छिपाते हुए नाजायज दबाव बनाने हेतु मान्य न्यायालय में योजित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ कोई घटना घटित नहीं की है। विपक्षीगण हेमन्त तोमर पुत्र श्री चन्द्रपाल सिहँ ने प्रार्थी व उसके साथी रितिक व अभिषेक व नितिन शर्मा के विरूद्ध घटना दिनांक 03.09.2024 की बावत दिनांक 04.09.2024 को थाना पिलखुवा जिला हापुड़ पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट केस क्राइम नं०– 458/2024 धारा–324(5), 352, 61(2), 351(2) बी०एन०एस० रिपोर्ट दर्ज करायी थी। थाना पिलखुवा (हापुड़) पर दर्ज उपरोक्त केस में नाजायज दबाव बनाने हेतु प्रार्थी कपिल ने उक्त परिवाद न्यायालय में दायर किया है। प्रार्थी कपिल व उसके साथी अभिषेक, रितिक के विरूद्ध आरोप पत्र मान्य सी०जे०एम० महोदय हापुड़ के न्यायालय में कम्प्यूटर वाद संख्या 4685 सन 2025, सरकार बनाम कपिल आदि, थाना पिलखुवा दाखिल किया जा चुका है, जिसमें दिनांक 18.04.2025 थी व अग्रिम दिनांक 27.06.2025 को प्रार्थी कपिल, रितिक व अभिषेक को पेश होने हेतु नियत की हुई है। वास्तविकता यह है कि विपक्षीगण हेमन्त तोमर, विनीत व आजाद तोमर रिलायन्स रोड गालन्द कम्पनी बिलिंक किट में ठेकेदारी के रुप में कार्य करते हैं। विपक्षीगण का कार्य कम्पनी में नये लड़के लाकर लड़कों का इन्टरव्यू कराकर कम्पनी में नौकरी कराते थे। प्रार्थी को भी विपक्षीगण ने कम्पनी में नौकरी दिलवाकर विपक्षीगण के अण्डर में कम्पनी का कार्य कर रहा था। दिनांक 03.09.2024 को विपक्षीगण

100–150 लड़कों का कम्पनी में इन्टरव्यू करा रहे थे तथा लड़कों की लाईन लगवाकर व व्यवस्था सही कराकर लड़कों को इन्टरव्यू दिलवा रहे थे। तभी प्रार्थी कपिल लंच टाईम में आया तथा इन्टरव्यू देने के लिए उसका साथी जानकार लाईन में लगा हुआ था, को जबरदस्ती लाईन से निकालकर पहले इन्टरव्यू कराने की जिद करने लगा। पहले से ही लाईन में लगे लड़कों के साथ मुंह भाषा होकर प्रार्थी के साथ 100–150 लड़कों की आपस में धक्का–मुक्की हो गयी थी। विपक्षीगण ने मौके पर मौजूद लड़कों व प्रार्थी का बीच बचाव कराया था। धक्का मुक्की में प्रार्थी कपिल की नाक से खून निकलने लगा तथा प्रार्थी कपिल ने फोन करके अपने गांव गालन्द से काफी लड़कों को व फोन करके बुलाया तथा कम्पनी में कार्य कर रहे अभिषेक, रितिक व नितिन शर्मा को भी बुलाकर कम्पनी में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे को लोहे की रॉड से तोड़ा तथा कम्पनी में कार्यरत लडंकियों को गन्दी गन्दी गालियां देते हुए कम्पनी के सामान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। कम्पनी की सिक्योरिटी गार्ड ने प्रार्थी व उसके साथियों को रोकने का प्रयास किया तो गार्ड को जान से मार देने की धमकी दी थी। कम्पनी के गार्ड धारा–112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया तो प्रार्थी कपिल, अभिषेक, रितिक व नितिन ने पुलिस कर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया था। विपक्षीगण ने बीच बचाव कराया था। प्रार्थी व उसके साथियों ने विपक्षीगण के साथ गाली गलौज की थी। पुलिसकर्मी प्रार्थी कपिल व उसके साथियों को गिरफ्तार कर थाना लेकर गयी थी। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 151 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही कर प्रार्थी कपिल, अभिषेक, रितिक व नितिन के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की गयी थी। कम्पनी के मालिकों ने प्रार्थी कपिल व उसके साथी अभिषेक, रितिक व नितिन को तुरन्त कम्पनी से निकाल दिया था। कम्पनी मालिकों ने विपक्षीगण से कम्पनी में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति धनराशि मांगने लगे तथा विपक्षीगण से कहा कि कपिल, अभिषेक, रितिक व नितिन जो तुम्हारे अण्डर में कार्य कर रहे थे, कम्पनी में तोड़ फोड़ की है, उसके आप रुपये जमा करा दो तो विपक्षीगण ने कम्पनी में हुए तोड़ फोड़ की क्षति की बावत प्रार्थी से रुपया मांगे तो विपक्षीगण को जान से मार देने व फर्जी मुकदमे दर्ज करा देने की धमकी दी थी। विपक्षीगण के अण्डर में काफी लड़के कम्पनी में नौकरी करते हैं। विपक्षीगण को जानकारी नहीं कि कौनसा लड़का किस जाति का है। विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ कोई जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ना ही कोई घटना प्रार्थी के साथ कारित की है। प्रार्थी ने विपक्षीगण पर नाजायज दबाव बनाने हेतु यह फर्जी परिवाद गलत व फर्जी झूठे कथनों पर सही बातों को छिपाकर दायर किया है, जो निरस्त होने योग्य है।"

10. विपक्षी ललित राणा उर्फ ललित तोमर की ओर से इस आशय की लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है कि "प्रार्थी ने उक्त परिवाद गलत, झूठे व फर्जी कथनों पर प्रार्थी/विपक्षी पर नाजायज दबाव बनाने के उददेश्य से सही व घटित घटना को छिपाते हुए माननीय न्यायालय में योजित किया है, जो खण्डित/निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/विपक्षी ने परिवादी के साथ कोई घटना घटित नहीं की है। प्रार्थी/विपक्षी निर्दोष है। प्रार्थी/विपक्षी रिलायन्स रोड गालन्द कम्पनी बिलिंक किट में सीनियर एग्जीक्यूटिव (सिक्योरिटी एण्ड लॉस प्रवेन्सन डिपार्टमेंन्ट) पर कार्यरत है। दिनांक 03.09.2024 को दोपहर के समय कम्पनी में नौकरी के लिए इन्टरव्यू के लिए काफी लड़के आये हुए थे तथा इन्टरव्यू के लिए लाईन में लगे हुए थे तथा कम्पनी में लंच टाईम चल रहा था। कम्पनी में कार्यरत कपिल उक्त लाईन में लगे अपने परिचित को लाईन तोड़कर आगे लगाने लगा, जिस कारण वहाँ लाईन में लगे लड़के उसका विरोध करने लगे। इस बात को लेकर कपिल तथा उक्त लड़कों के मध्य कहा सुनी हो गयी तथा आपस में धक्का मुक्की होने लगी तथा कपिल को धक्का मुक्की से नाक में खून निकल गया तो कपिल ने फोन करके अपने गांव गालन्द से लड़कों को बुला लिया तथा कम्पनी में कार्यरत अभिषेक, रितिक व नितिन शर्मा को भी बुला लिया तथा उक्त सभी ने कम्पनी में तोड़ फोड़ आरम्भ कर दी तथा लोहे की रॉड से सी०सी०टी०वी० कैमरे तोड़ दिये तथा कम्पनी की महिला कर्मचारियों से बद्तमीजी की। जब कम्पनी के सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने

का प्रयास किया तो गार्ड को भी जान से मारने की धमकी दी तो गार्ड ने 112 नम्बर डायल कर पुलिस को बुला लिया। उक्त परिवादी कपिल व उसके साथी अभिषेक, रितिक, नितिन ने पुलिस वालों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया तो कम्पनी के अन्य कर्मचारीगण व प्रार्थी/विपक्षी ने बीच बचाव किया तथा पुलिस से उक्त परिवादी व उसके साथी ने प्रार्थी/विपक्षी व अन्य कर्मचारीगण के साथ भी गाली गलौज की थी। पुलिस कर्मी मौके से परिवादी कपिल, अभिषेक, रितिक व नितिन शर्मा को गिरफ्तार करके थाने ले गये तथा उक्त चारों के खिलाफ एफ०आई०आर० मु०अ०सं० 458/2024 अंतर्गत धारा 324(5), 352, 61(2), 351 (2) बी०एन०एस०, थाना पिलखुवा में दर्ज की तथा उक्त चारों के खिलाफ 151 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही की थी। प्रार्थी/विपक्षी का उक्त परिवादी से कोई विवाद नहीं हुआ। प्रार्थी/विपक्षी तो कम्पनी में मात्र कर्मचारी है तथा मौके पर पुलिस के आने पर जो वास्तविकता थी उसे जानकारी कर पुलिस को बताया था। प्रार्थी/विपक्षी का परिवादी से कोई विवाद नहीं हुआ। परिवादी व उसके साथियों ने कम्पनी में तोड़ फोड़ कर कम्पनी का बहुत नुकसान किया था, जिसकी जानकारी प्रार्थी/विपक्षी ने अपनी कम्पनी के उच्च अधिकारियों को दी थी। परिवादी व उसके साथियों द्वारा कम्पनी में किये गये नुकसान, तोड़ फोड़, मारपीट व गाली गलौज करने के कारण कम्पनी से निकाल दिया था, जिस कारण परिवादी प्रार्थी/विपक्षी से रंजिश मानने लगा था तथा उक्त परिवाद दायर कर नाजायज दबाव बनाकर कम्पनी में पुनः नौकरी पर रखने का दबाव बना रहा है। परिवादी ने प्रार्थी/विपक्षी को धमकी दी थी कि या तो कम्पनी के उच्च अधिकारीगण से कहकर एफ०आई०आर० वापिस लेकर पुनः नौकरी पर रखवा दे, वरना तुझे झूठे केस में फंसवाकर जेल में बन्द करवा दूंगा। उसी कारण प्रार्थी/विपक्षी पर उक्त झूठा परिवाद दायर किया है। प्रार्थी/विपक्षी निर्दोष है। प्रार्थी/विपक्षी को इस परिवाद से पूर्व यह जानकारी नहीं थी कि परिवादी किस जाति का है। कम्पनी में सैकड़ों लड़के काम करते हैं। प्रार्थी/विपक्षी उन कर्मचारीगण का नाम व जाति से परिचित नहीं होता तो परिवादी को जाति सूचक शब्द कहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी/विपक्षी पर परिवादी ने नाजायज दबाव बनाकर अपनी मनमानी करने के उद्देश्य से उक्त झूठा मुकदमा योजित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि परिवादी द्वारा दायर किया झूठा परिवाद फर्जी कथनों पर आधारित होने के कारण निरस्त करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।"

11. मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

12. उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण को यह तथ्य स्वीकार्य है कि दिनांक 03.09.2024 को घटित घटना के परिणामस्वरूप ही प्रार्थी की नाक में चोट लगी तथा उसकी नाक से खून भी निकला, जिसके पश्चात प्रार्थी सी०एच०सी० पिलखुवा पर मेडिकल परीक्षण कराने हेतु गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा अपनी रैफरल स्लिप में यह अंकित करते हुए "pain in bridge of nose, swelling & tenderness active, no active bleeding" तथा एक्स–रे की सलाह देते पीड़ित को जिला अस्पताल हापुड़/मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा अपनी चेहरे का एक्स–रे कराया गया, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्याधीन एक रंगीन फोटोग्राफ भी दाखिल किया गया है, जिसमें भी प्रार्थी की नाक से खून बहता प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में धारा 225 भा०ना०सु०सं० के तहत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–01 अभिषेक व पी०डब्ल्यू०–02 रितिक द्वारा भी प्रार्थी के कथनों एवं घटना का समर्थन किया गया है।

13. परिवाद पत्र, बयान परिवादी कपिल अंतर्गत धारा 223 भा०ना०सु०सं०, बयान पी०डब्ल्यू०–01 अभिषेक, पी०डब्ल्यू०–02 रितिक अंतर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं०

एवं समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि "अभियुक्तगण हेमंत, तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में यह जानते हुए कि परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, परिवादी के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की गयी, गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली गलौज कर अपमानित व जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया गया।" अतः अभियुक्तगण हेमंत, तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर को धारा 115(2), 351(2), 352, 3(5) भा०न्या०सं० व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में जरिये सम्मन तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण हेमंत तोमर, विनीत उर्फ रविन्द्र, आजाद तोमर व ललित राणा उर्फ ललित तोमर धारा 115(2), 351(2), 352, 3(5) भा०न्या०सं० व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में जरिये सम्मन तलब हों। अभियुक्तगण के सम्मन नियत दिनांक हेतु जारी हों। पत्रावली हाजिरी दिनांक 21.01.2026 को पेश हो।

दिनांक:– 06.01.2026

(हनी गोयल)
J.O. C ode– UP2408
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।